न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 343/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 किरताराम पुत्र टिकमाराम जाति जाट निवासी जाणियावास नांद तहसील व जिला बाडमेर।		1 अनाराम 2 अरजनराम 3 दुर्गाराम 4 नरसींगाराम 5 मगनाराम पिसरान अचलाराम 6 धनाराम 7 नगाराम 8 नारणाराम 9 बजरग पिसरान चुतराराम 10 चुनी पत्नी चुतराराम 11 रामाराम 12 लिखमाराम 13 हरदानराम पिसरान पदमाराम 14 प्रहलादराम पुत्र रूगनाथराम 15 चम्पा पत्नी रूगनाथराम 16 घमण्डाराम 17 जगमाल 18 टीकू 19 नेनाराम पिसरान मूलाराम जाति जाट निवासी चौखाणियों की ढाणी पटवार हल्का नांद तहसील बाडमेर 20 डालूराम 21 पन्नाराम पिसरान इसराराम 22 इमरती पत्नी इसराराम 23 गुणेशाराम पुत्र फुसाराम 24 तीजो पत्नी फुसाराम 25 डालूराम 26 मूला 27 रेखाराम पिसरान पुराराम 28 पेमी पत्नी पुराराम 29 पुरखाराम 30 वालाराम पिसरान नवलाराम 31 रावताराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी जाणियावास तहसील बाडमेर 32 प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा विशाला 33 प्रबन्धक एसबीआई बैंक शाखा भादरेश 34 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, वकील प्रार्थी।
2. श्री नीम्बाराम बेनिवाल, वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 15।

आदेश

दिनांक 09.10.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा जाणियावास पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 400/162 रकबा 8.8788 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 31 के खसरा संख्या 385/277, 384/276, 368/258 व 257 में से सरकारी रास्ता तक जाने का एक–मात्र रास्ता है जो परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल से दर्शित है, जो मौके पर कच्चा रास्ता मौजूद है। इसके अलावा प्रार्थी के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 01 से 31 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 15 उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 15 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 15 ने जवाब प्रस्तुत नही किया। लिहाजा वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 15 का जवाब बन्द किय जाता है। तहसीलदार बाडमेर से उक्त रास्ते के सम्बन्ध में मौके व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

उप तहसीलदार विशाला के पत्रांक भू.अ./2023/287 दिनांक 21.09.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि मौजा जाणियावास पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 400/162 रकबा 32.05 बीघा भूमि में से डामर सड़क

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तक आने जाने हेतु ग्राम जाणियावास के खसरा संख्या 257 रकबा 9.3239 हैक्टेयर, ग्राम चौखणियों की ढाणी के खसरा संख्या 368/258 रकबा 14.1721 हैक्टेयर, खसरा संख्या 385/277 रकबा 3.7798 हैक्टेयर व खसरा संख्या 384/276 रकबा 3.4803 हैक्टेयर भूमि में से आम रास्ते तक आने–जाने हेतु प्रार्थी के पास मौके व रेकर्ड की स्थिति अनुसार कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वैकल्पिक रास्ता नही होने से खसरा संख्या 400/162 से आवागमन के लिए रास्ता निकालना अति आवश्यक है। मौके पर खसरा संख्या 400/162 से डामर सड़क नांद से शिव जाने वाली सड़क तक आने जाने के लिए ग्राम जाणियावास के खसरा संख्या 257 व ग्राम चौखाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 368/258, 384/276 व 385/277 में से न्यूनतम दूरी का रास्ता संलग्न नक्शा लाल व हरा के अनुसार प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली है तथा किसी भी न्यायालय में उक्त भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई स्थगन विचाराधीन नही है। प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है और प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार प्रस्तावित किया है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	गांव का नाम	ख.नं.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्वाई/चौड़ाई	प्रस्तावित मार्ग का रकबा	डीएलसी दर प्रति बीघा	डीएलसी दर की दुगुनी राशि
1	2		3	4		5	6	7	
1	इमरती पत्नी इसरा रेखाराम पुत्र पुरा रावताराम पुत्र गोरधन वालाराम पुत्र नवला गुणेशाराम पुत्र फूसा डालुराम पुत्र पूरा डालूराम पुत्र इसरा तीजो पत्नी फूसा पनाराम पुत्र इसरा पेमीदेवी पत्नी पुरा पुरखाराम पुत्र नवला मूलाराम पुत्र पुरा जाति जाट सा. देह खातेदार	जाणियावास	257	9.3239	बा.सो.	1781 फीट X 13 फीट	0.2151 हैटेयर	96072/–	255324/–
2	घमण्डा जगमाल टीकू नेना पिसरान मूला	चौखाणियों की ढाणी	368/258	14.7121 हैक्टयर	बा.सो.	1728 फीट X 13 फीट	0.2088 हैटेयर	96072/–	247846/–
3	अनाराम पुत्र अचलाराम बाली पत्नी अचला मुनोजी पत्नी हरजी मगनाराम पुत्र अचला रामाराम लिखमाराम हरदान पिसरान पदमाराम अरजनराम पुत्र अचला चूनी पत्नी चुतरा दुर्गाराम पुत्र अचला धना नगा पिसरान चुतरा नरसिंगाराम पुत्र अचला नारणा बजरंग पिसरान चुतरा जाति जाट सा. देह खातेदार	चौखाणियों की ढाणी	385/277	3.7798 हैक्टयर	बा.सो.	623 फीट X 13 फीट	0.0753 हैटेयर	72068/–	67050/–

उप खण्ड अधिकारी

चंपा पत्नी रूगनाथ प्रहलाद पुत्र रूगनाथ जाति जाट सा. देह खातेदार	चौखाणियों की ढाणी	384 / 276	3.48038 हैक्टयर	बा.सो.	604 फीट X 13 फीट	0.09 बीघा	72068 / –	65000 / –

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि उप तहसीलदार विशाला द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उन्हे स्वीकार है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के संलग्न परिशिष्ठ में बरंग लाल व हरा के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 15 ने उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौके का प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध करवाया है वह उन्हे स्वीकार है। उभय पक्षों द्वारा इस आशय की सहमति प्रदान कर प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया कि मौके पर सिंचित कृषि भूमि होने की गणना कर भुगतान किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली के अवलोकन एवं उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थी का अपनी कृषि जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। वैकल्पिक रास्ता नही होने से खसरा संख्या 400 / 162 से आवागमन के लिए रास्ता निकालना अति आवश्यक है। आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आवेदन स्वीकार किया जाता है। मौजा जाणियावास पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 400 / 162 रकबा 32.05 बीघा भूमि से सरकारी सड़क तक आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 31 की भूमि ग्राम जाणियावास के खसरा संख्या 257 रकबा 9.3239 हैक्टेयर, ग्राम चौखणियों की ढाणी के खसरा संख्या 368 / 258 रकबा 14.1721 हैक्टेयर, खसरा संख्या 385 / 277 रकबा 3.7798 हैक्टेयर व खसरा संख्या 384 / 276 रकबा 3.4803 हैक्टेयर भूमि जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल व हरा दर्शाई गई है। प्रार्थी उक्त हिस्सा अनुसार राशि के बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर उप तहसीलदार विशाला राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी 01 से 31 को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 09.10.2023 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर